

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥


पटना-15, दिनांक- 8.5.26

संख्या-12/निजी-70125/23 सा0प्र0- 8093 /श्रीमती रश्मि सिंह, बि0प्र0से0 (को0 क्र0-613/26), भूमि सुधार उप समाहर्ता, रक्सौल, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को उनके प्रथम संतान के देखभाल हेतु विभागीय अधिसूचना सं0-22412, दिनांक-03.12.2025 द्वारा दिनांक-01.12.2025 से दिनांक-29.05.2026 तक पूर्व से स्वीकृत मातृत्व अवकाश के क्रम में बिहार सेवा संहिता के नियम-220A के तहत दिनांक-30.05.2026 से दिनांक-24.09.2026 तक कुल-118 (एक सौ अठारह) दिनों की शिशु देखभाल छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त छुट्टी के उपभोग के उपरांत श्रीमती सिंह के पक्ष में 730-118=612 (छः सौ बारह) दिनों की शिशु-देखभाल छुट्टी शेष आदेय होगी।


3. श्रीमती सिंह को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र सं0-5632, दिनांक-26.06.2015 की कंडिका-8(iii) के आलोक में उक्त छुट्टी से लौटने के उपरान्त वेतन पूर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), पटना को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(राजीव रंजन दास)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-12/निजी-70125/23 सा0प्र0- 8093 /पटना, दिनांक- 8.5.26

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग पटना के माध्यम से) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को उनके पत्रांक-74 दिनांक-20.04.2026 के प्रसंग में/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ श्रीमती रश्मि सिंह, बि0प्र0से0 (को0 क्र0-613/26), भूमि सुधार रक्सौल, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।